

# राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर)

(फोन नं. 0141-2225532, वेबसाइट - www.rsacs.in)

क्रमांक :- एड्स/टी.आई.(112)/2017/ 3074

दिनांक: 27-9-17

## प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

माईग्रेशन कैम्पेन के अंतर्गत अक्टूबर 2017 में राज्य के 10 जिलों में हैल्थ कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए जिलों में प्रत्येक कैम्प हेतु राशि 2000/- के आधार पर कैम्प में नियुक्त मेडिकल स्टाफ के भोजन व रिफ्रेशमेंट के लिए प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है -

क्र.सं.	कार्यालय/अधिकारी का नाम	कैम्पों की संख्या@2000	राशि रु.
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	10x2000	20000
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा	10x2000	20000
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द	10x2000	20000
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर	10x2000	20000
5.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर	10x2000	20000
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़	10x2000	20000
7.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिराही	10x2000	20000
8.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली	10x2000	20000
9.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा	10x2000	20000
10.	District AIDS Prevention & Control Committee, Udaipur	10x2000	20000

उक्त राशि की स्वीकृति राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार द्वारा टी.आई. कार्यक्रम की वार्षिक कार्य योजना 2017-18 में से जारी की गई है। राशि की रिलीज सोसायटी के लेखा विभाग से अलग से जारी की जावेगी। राशि का उपयोग होने के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र में व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को यथाशीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त राशि कैम्प आयोजन दिनांक से पूर्व संबंधित ब्लॉक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी को आवंटित करें ताकि शिविर स्थल पर जलपान एवं भोजन की व्यवस्था बाधित न हो।

(डॉ. एस.एस. चौहान)  
परियोजना निदेशक

क्रमांक :- एड्स/टी.आई.(112)/2017/ 3074  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 27-9-17

1. DDG (TI), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (वित्त), राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर को भेजकर लेख है कि टी.आई. कार्यक्रम की वार्षिक कार्य योजना 2017-18 में स्वीकृत मद Migrant Source Health Camps में से संबंधित के खाते में भुगतान कर टी.आई. डिविजन को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा/चित्तौड़गढ़/डूंगरपुर/जालौर/पाली/राजसमन्द/सिराही/उदयपुर/बांसवाड़ा व जोधपुर।
5. उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा/चित्तौड़गढ़/डूंगरपुर/जालौर/पाली/राजसमन्द/सिराही/उदयपुर/बांसवाड़ा व जोधपुर।
6. राज्य नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा/चित्तौड़गढ़/डूंगरपुर/जालौर/पाली/राजसमन्द/सिराही/उदयपुर/बांसवाड़ा व जोधपुर।

(डॉ. एस.एस. चौहान)  
परियोजना निदेशक